न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—17/2011 (2011/00002) वाद पत्र

उनवान

1—कैलाशी पुत्री बंशी नायक पत्नि मनोहरलाल निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी आलमास तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—सागर पुत्री बंशी नायक पत्नि शान्तिलालनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी मखनपुरिया तह0 रेलमगरा जिला राजसंमद
3—मंजु पुत्री बंशी नायक पत्नि नारायण नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—रामपाल आत्मज सोहन नायकनिवासीउंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राधेश्याम आत्मज सोहन नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा3—लाली पुत्री सोहन नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4—कंकु पुत्री सोहन नायकनिवासीउंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5—गणेश आत्मज रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर
6—इन्द्रा पुत्री रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र नायकपत्नि मनोहरलाल नि0कालाखेड़ा तह0 राश्मी जि0चितौड़गढ
7—मदन आत्मज लेहरू नायकनिवासीउंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रोशन आत्मज लेहरू नायकनिवासीउंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—धापु पुत्री मांगु नायक पत्नि रामानायक हालनि0बेठुमी तह0 रेलमगरा जिला राजसंमद
10—कमला पत्नि बंशीलाल नायक निवासी पनोतिया तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. पीएस.चुण्डावत,हरिश टेलर—
2. फारूख मोहम्मद—

अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांक 23.01.2020

निर्णय

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथड़ियासतहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 844, 847/2, 847/3, 851,से 860, 861/1, 861/2, 863, 864, 865, 869,902/1, 902/2, 903,904/1, 905,906/1क, 906/1ख, 1010, कुल किता 27 रकबा 42 बिघा 19 बिस्वा भूमि वादीगणो के परदादा पीरू नायक के समय की होकर सयुंक्त खातेदारी भूमि है पीरू के निधन के बाद उक्त विवादित भूमि पर उनके पुत्र खेमा व मांगु काबिज हुए और दोनो

सामिल शरीक रहकर कब्जा कास्त निरन्तर चलता रहा लेकिन बड़ा पुत्र होने से खेमा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ खेमा के नाम भुमि दर्ज होने बाबत् मांगु ने कभी एतराज नही किया दोनो भाईयो में अच्छा स्नेह था साबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 1541 रकबा 0.05 है0,आराजी संख्या 1542 रकबा 0.33 है0,आराजी संख्या 3186 रकबा 0.46 है0,आराजी संख्या 3189 रकबा 0.19 है0,आराजी संख्या 3190 रकबा 0.25 है0,आराजी संख्या 3191 रकबा 0.34 है0,आराजी संख्या 3193 रकबा 0.02 है0,आराजी संख्या 3194 रकबा 0.01 है0,आराजी संख्या 3195 रकबा 0.03 है0,आराजी संख्या 3196 रकबा 0.32 है0,आराजी संख्या 3197 रकबा 0.50 है0,आराजी संख्या 3198 रकबा 0.20 है0,आराजी संख्या 3199 रकबा 0.27 है0,आराजी संख्या 3200 रकबा 0.49 है0,आराजी संख्या 3201 रकबा 0.23 है0,आराजी संख्या 3202 रकबा 0.23 है0,आराजी संख्या 3203 रकबा 0.18 है0,आराजी संख्या 3204 रकबा 0.31 है0,आराजी संख्या 3205 रकबा 0.03 है0,आराजी संख्या 3206 रकबा 0.28 है0,आराजी संख्या 3207 रकबा 0.53 है0,आराजी संख्या 3208 रकबा 0.07 है0,आराजी संख्या 3209 रकबा 0.08 है0,आराजी संख्या 3213 रकबा 0.06 है0,आराजी संख्या 3214 रकबा 0.12 है0,आराजी संख्या 3228 रकबा 0.03 है0,आराजी संख्या 3229 रकबा 0.09 है0,आराजी संख्या 3230 रकबा 0.12 है0,आराजी संख्या 3231 रकबा 0.15 है0,आराजी संख्या 3232 रकबा 0.09 है0,आराजी संख्या 3233 रकबा 0.02 है0,आराजी संख्या 3234 रकबा 0.68 है0,आराजी संख्या 3235 रकबा 0.46 है0,आराजी संख्या 3240 रकबा 0.53 है0,आराजी संख्या 3297 रकबा 0.07 है0,आराजी संख्या 3298 रकबा 0.08 है0,आराजी संख्या 3301 रकबा 0.23 है0,आराजी संख्या 3302 रकबा 0.03 है0,आराजी संख्या 3304 रकबा 0.15 है0,आराजी संख्या 3305 रकबा 0.05 है0,आराजी संख्या 3307 रकबा 0.02 है0,आराजी संख्या 3308 रकबा 0.01 है0,आराजी संख्या 3309 रकबा 0.17 है0,आराजी संख्या 3310 रकबा 0.04 है0,आराजी संख्या 3311 रकबा 0.39 है0,आराजी संख्या 3514 रकबा 0.05 है0,आराजी संख्या 3515 रकबा 0.24 है0, कुल किता 47 कुल रकबा 9.28 है0 भूमि नवीन भू प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नम्बर कायम हुए। खेमा के पुत्र भुरा हुए एवं मांगु के पुत्र बंशी व पुत्री गंगा व धापु हुए भुरा के कोई संतान नही हुई। बंशी वादीगण हुए। भुरा का भी निधन हो गया जिससे वादग्रस्त भूमि उसकी पत्नि दाखी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। जब बंशी 12–13 साल का था तब ही उसके पिता मांगु का निधन हो गया लेकिन परिवार शामिल शरीक ही चलता रहा। बंशी व दाखी देवर भाभी में अच्छा स्नेह था दाखी ने बंशी को पुत्रवत ही रखा। दाखी की सेवा चाकरी व दवा दारू की व्यवस्था भी बंशी ही करता था देवर भाभी में अच्छा स्नेह होने से एवं ग्रामीण परिवेश होने से बंशी ने अपनी भाभी दाखी के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज होने बाबत्कोई आपत्ति नही की लेकिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त व अधिकार आधिपत्य शामील शरीक ही रहा। बंशी का भी निधन हो गया जिससे वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त उसकी पत्नि कमला प्रतिवादी सं. 11 व वादीगण का हुआ जो आज पर्यन्त निर्बाद रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 व दादा व 7व 8 के पिता लेहरू काफी समय पूर्व अपनी माता अमली के साथ अमली के पिहर गांव धोलास तह0 रायपुर चला गया और लेहरू का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा वादीगण की नाबालिक अवस्था होने व प्रतिवादी संख्या 11 कमला जो बंशी की विधवा अनपढ़ ग्रामीण महिला थी जिसका नाजायज फायदा उठा लेहरू ने राजस्व कर्मियो से मिलाभक्ति एवं साठगांठ कर अर्जित तोर पर दाखी का वारीस बन जरिये नामान्तरकरण 1235 दिनांक 03.12.1997 से वादग्रस्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी। लेहरू के निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण 577 दिनांक 07.02.2011 को अपने नाम दर्ज करा ली लेकनि कब्जा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11

का ही चला आ रहा है। लेहरू द्वारा अपने नाम तथ प्रतिवादी 1 से 8 द्वारा लेहरू की मृत्यु के बाद अपने नाम भूमि दर्ज कराने की सारी कार्यवाही अवैध विधिविरूद्व है।

लेहरू खेमा का जायन्दा पुत्र नही था अपितु व खेमा की नामायत पत्नि अमली के साथ गेलड़ (अमली के पूर्व पति के नुत्फे से पैदा हुआ) आया था।जिसका पीरू की विरासत से कोई लेना देना नही था। लेहरू अथवा दसके वारीसान का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होता तो खेमा की मृत्यु उपरान्त भूमि अकेली दाखी के नाम दर्ज हो जाने बाबत् आपत्ति करता भुरा अथवा दाखी के साथ कभी नही रहा और साथ ही निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पीरू की विरासत से एवं दाखी के लाऔलाद फोथ होने से दाखी का हक हिस्सा भी वादीगण एंव प्रतिवादी 9, 10, मे निहित हो गया जिससे प्रतिवादीगण के पक्ष में खेला गया नामान्तरणकरण अवैध व शुन्य है इसी नामान्तरणकरण से प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। वाद पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित साबिक आराजियात के नवीन आराजियात भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 का नाम हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्ती द्वारा वादीगण का नाम अभिलिखित कराया जावें। बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्नकरे न अन्य से करावे एवं वादग्रस्त भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित अथवा भारित नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.04.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगणकी ओर से जवाब पेश कर वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की पीरू के 2 पुत्र खेमा व मांगु थे किन्तु खेमा व मांगु सामिल नही रहते थे मांगु का वाद में अकिंत आराजियात मे कोई हक हिस्सा नही था। खेमा के पुत्र भुरा हुआ तथा मांगु के पुत्र बंशी हुआ खेमा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि उसकी पत्नि दाखी के नाम रेकार्ड में दर्ज हुई भुरा की पत्नि दाखी ने बंशी को पुत्रवत नही रखा बल्कि दाखी ने अपने जीवनकाल मे ही लेहरू को पुत्रवत रखा तथा भुरा का सामाजिक रितिरिवाज से क्रियाकम करवा लेहरू को सामाजिक स्तर से पगड़ी बंधवायी जिससे वादग्रस्त आराजियात लेहरू के नाम दर्ज हुई वादीगण का वादग्रस्त आराजियातपर कोई कब्जा नही है ओर न ही पूर्व में रहा। विवादित भूमि पर लेहरू ाक कब्जा था तथा लेहरू के उपरान्त प्रतिवादी 1 से 8 का कब्जा चला आ रहा है राजस्व अधिकारियो ने लेहरू के नाम नामान्तरणकरण संख्या 1235 दिनांक 03.12.1997 सही जांच व विणिक प्रकिया अपनाते हुए दर्ज किया तथा लेहरू की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी क नाम भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी कमला ने पूर्व में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में पेश हुआ जो खारीज हुआ क्योकि वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया इसलिए खारीज हुआ। वादीगण द्वारा लेहरू को गेलड़ बताने की बात झुठी है और इसको आधार मानकर वाद पेश किया है जो खारीज योग्य है। वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कोई कब्जा नही है वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के तन्हा खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसमे वादीगण का कोई हक हिस्सा नही है।

प्रतिवादीगण विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावें।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वाद की धारा 5 में वर्णित 9.28 है0 भूमि का वाद पत्र धारा 7 में अकिंत कारणो से राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का नाम हटाया जाकर वादीगण खातेदार कास्तकार घोषित हो इन्दाज दुरस्ती द्वारा अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है?

—वादीगण

2. आया वादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी 1 लगायत 8 वाद पत्र धारा 5 में वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जे कास्त व उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे व न अन्य से करावे तथा भूमि को किसी के पक्ष में मुक्तकिल एवं भारीत नही करें? —वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही है? प्रतिवादी 1 से 8

4. आया प्रतिवादी संख्या 11 (10) कमला ने पूर्व में इस न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज हुआ यदि ऐसा है तो उसका इस वाद पत्र पर क्या असर है?—प्रतिवादी 1 से 8

5. दादरसी?

वादी की ओर से दस्तावेज के रूप में EX—1 के रूप में संवत 2049 से 2052 की दाखी बाई नाम की जमाबन्दी पेश की गई एवं **EX—2** संवत 2066 से 2069 लेहरू पिता खेमा नायक के नाम की पेश की गई तथा **EX—3 से 5 लगाान की रसीदे पेश की गई इसी के साथ निम्न व्यक्तियो के बयान कराये गये।**

1. कैलाशीपुत्रीबंशीलाल नायक के बयान कराये जिसमे कहा गया कि मेरी का नाम कमला है मेरी मां दावा पेश करने हमारे साथ नही आयी हम तीनो बहनो ने दावा पेश किया है जमीन का नामान्तरणकरण दाखी के बाद लेहरू का के नाम दर्ज हुआ तब ऐतराज नही किया क्योकि उस समय छोटी थी और मेरी मां ने भी ऐतराज नही किया।

2. सागर पुत्री बंशीलाल नायक ने अपने बयान में व्यक्त किया कि दावे में मेरी मां सहमत नही है मेरी मां ने जो दावा पेश किया जो खारीज हुआ। खेमा भुरा भाई है मेरे पिता ने जिवित रहते दावा नही किया, भुरा की पगड़ी लेहरू को बंधाई जो गलत है, मेरे दादा का नाम भुरा था।

3. लादुलाल पिता बरदीचन्द शर्मा ने अपने बयान बताया कि यह बात सही है कि मैने विवादित जमीन के पास मेरी जमीन नही है इस जमीन पर जोने का काम 2 साल पहले हकाई करने गया था जिससे पड़ा। भुरा खेमा को नही जानता हुँ और न ही देखा दाखी को भी नही देखा जमान का पड़ौसी भी नही है। मेरे कैलाशी, सागर में हकाई के पैसे बकाया है इसलिये बयान देने आया हुँ।

4. सोहन पिता जयदेव नायक ने अपने बया न में कहा कि शपथ पत्र मेरे हस्ताक्षर है भूमि प्रतिवादीगण बो रहे है, खेमा भुरा दाखी को कभी नही देखा, खेमा की पत्नि होनी, अमली को भी नही देखा, जमीन दाखी के नाम थी खेमा भुरा भाईयो के भाई थे, लेहरू तोलास से आये

कैलाशी, सागर के कहने से बयान देने आया हॅ शपथ पत्र में क्या लिखा मुझे पता नही में अनपढ़ हुॅ लिखा उस समय में मौजुद नही था मेरे पिता ने कहा वही सुना था इस जमीन पर खेती कर रही है। इस जमीन के पास मेरी जमीन थी जो मैने बेच दी।

प्रतिवादीः–

1. रोशन–खेमा को जानता विवाहिता पत्नि थी नाम नही जानता, खेमा की पत्नि होनी थी, खेमा के दो लड़के थे भुरा अलग मां का था व लेहरू अलग मां का था यह कहना गलत है कि लेहरू साथ्ज्ञ में आया हो वह पैदा हुआ था, लेहरू के पिता का नाम खेमा था, भुरा के कोई औलाद नही थी जमीन दाखी से लेहरू के नाम दर्ज हुई, दाखी लेहरू की मां नही भोजाई थी लेहरू के पिता के नाम खेमा था यह मुझे मालुम नही जवाब में क्या लिखा मुझे मालुम नही फिर कहा जवाब पढ़कर सुनाया फिर हस्ताक्षर किये खेमा मांगु के पिता का नाम पीरू था जमीन खेमा से भुरा, भुरा से दाखी, दाखी से लेहरू के नाम आयी दाखी के सगी औलाद नही थी कब्जा मांगु के वारीसान का नही है हमारा कब्जा है अमरी लेहरू को अपने पूर्व ससुराल से लायी हो यह मुझे मालुम नही।
2. मांगु गुर्जर–पीरू के दो लड़के खेमा व मांगु, खेमा के भुरा लेहरू थे खेमा ने किससे शादी की मुझे मालुम नही लेहरू नाते की पत्नि का हो सकता है लेहरू भुरा से छोटा था लेहरू अमली के साथ आया मुझे मालुम नही भुरा के कोई औलाद नही थी, उसकी पत्नि दाखी थी पीरू फोथ हुआ तब उसकी जमीन दोनो पुत्र खेमा मांगु के नाम आयी दाखी ने लेहरू को गोद नामा की रजिस्ट्री कराई मुझे मालुम नही समाज में लिखा पढ़ी की गई हो मुझे मालुम नही, भुरा खेमा मुझे याद नही आते दाखी ने लेहरू को जमीन बेची।
3. घीसु–विवदित जमीन के पास मेरी जमीन नही है भुरा की पत्नि को मैने नही देखा जमीन का किसका कब्जा मुझे मालुम नही है।
4. वादीगण का हिस्सा है दोनो बो रहे है बन्शी के जीवनकाल से वादग्रस्त भुमि पर इनका कब्जा था बन्शी के हिस्से पर वादीगणों का कब्जा है मैने सुना की लेहरूबा उसकी मां के साथ पूर्व ससुराल से आये हों।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. आया वाद की धारा 5 में वर्णित 9.28 है0 भूमि का वाद पत्र धारा 7 में अकिंत कारणो से राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का नाम हटाया जाकर वादीगण खातेदार कास्तकार घोषित हो इन्दाज दुरस्ती द्वारा अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है?

–वादीगण

तनकी नम्बर 1 को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण की ओर से दस्तावेज पेश नही किये जो रसीदे 3 से 5 पेश की गयी वह दाखी के नाम है कब्जा सोहन के बयान से प्रतिवादी का बताया नातायत पत्नि का कोई प्रमाण के रूप में न तो दस्तावेज पेश किया न कोई स्वतंत्र गवाह ने अपने बयान में यह बात ठोस रूप से कही बाली रोशन ने अपने बयान में कहा कि लेहरू के पिता का नाम खेमा था यह बात गलत है कि लेहरू साथ में आया हो इसके अलावा भी लेहरू का नाम विपक्षी द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी संवत 2009 में भुरा

लेहरू पिता खेमा दर्ज है ऐसी स्थिति में तनकी 1 को साबित करने में वादी असफल रहा जो स्थिति 1 का निर्णय वादी के विरूद्व किया जाता है।

2. आया वादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी 1 लगायत 8 वाद पत्र धारा 5 में वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जे कास्त व उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे व न अन्य से करावे तथा भूमि को किसी के पक्ष में मुक्तकिल एवं भारीत नही करें? —वादीगण

तनकी नम्बर 2 को साबित कराने का भार भी वादीगण का था किन्तु इस तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जो वादी के वाद को समर्थन मिलता हुआ तनकी नम्बर 1 को साबित कराने में वादी असफल रहा यह तनकी भी उसी से सम्बधित है जब तनकी 1 का निर्णय विरूद्व वादीगण हा`चुका है तो इस तनकी का निर्णय भी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नही है? प्रतिवादी 1 से 8

तनकी नम्बर 3 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर है इस तनकी के सम्बन्ध में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही है, कब्जा बाबत् प्रतिवादी के द्वारा रोशन के बयान कराये गये जिसमें रोशन के द्वारा कब्जा प्रतिवादीगणों का बताया गया ओर प्रतिवादी खातेदार है एवं मौके पर कब्जा है एसी स्थिति में वाद में तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी साबित कराने में सफल रहा इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

4. आया प्रतिवादी संख्या 11 (10) कमला ने पूर्व में इस न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज हुआ यदि ऐसा है तो उसका इस वाद पत्र पर क्या असर है?—प्रतिवादी 1 से 8

तनकी नम्बर 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है इस वाद में वर्णित भूमि से सम्बधित पूर्व में इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतिवादी को साबित कराना था इस बाबत् कोई रेकार्ड पेश नही किया किन्तु प्रतिवादी ने सागर बाई के बयान से साबित कराया कि सागर की मां ने दावा पेश किया जो खारीज हो गया जिससे यह तनकी आशिंक रूप से बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णत की जाती है। हालाकि उस दावे के साबित होने या नही होने से इस वादपर कोई असर नही होता है।

5. दादरसी—तनकी नम्बर 1 से 4 के अनुसार वादी को कोई सहायता इस वाद में दी जाना उचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व कराने मे असफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः वादी द्वारा ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थितसाबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 1541 रकबा 0.05 है0,आराजी संख्या 1542 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 3186 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 3189 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 3190 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 3191 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 3193 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3194 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3195

रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3196 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 3197 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 3198 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 3199 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 3200 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 3201 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3202 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3203 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3204 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 3205 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3206 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3207 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3208 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3209 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3213 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3214 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 3228 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3229 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3230 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 3231 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3233 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3234 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 3235 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 3240 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3297 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3298 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3301 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3302 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3304 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3305 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3307 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3308 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3309 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3310 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3311 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 3514 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3515 रकबा 0.24 है0, कुल किता 47 कुल रकबा 9.28 है0 भूमि से सम्बधित प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–17 / 2011 (2011 / 00002) वाद पत्र

उनवान

1–कैलाशी पुत्री बंशी नायक पत्नि मनोहरलाल निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी आलमास तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–सागर पुत्री बंशी नायक पत्नि शान्तिलालनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी मखनपुरिया तह0 रेलमगरा जिला राजसंमद
3–मंजु पुत्री बंशी नायक पत्नि नारायण नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–रामपाल आत्मज सोहन नायकनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राधेश्याम आत्मज सोहन नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा3–लाली पुत्री सोहन नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4–कंकु पुत्री सोहन नायकनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर हाल निवासी सांगवा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5–गणेश आत्मज रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र नायक निवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर
6–इन्द्रा पुत्री रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र नायकपत्नि मनोहरलाल नि0कालाखेड़ा तह0 राश्मी जि0चितौड़गढ
7–मदन आत्मज लेहरू नायकनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–रोशन आत्मज लेहरू नायकनिवासी उंकारपुरा नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–धापु पुत्री मांगु नायक पत्नि रामानायक हालनि0बेठुमी तह0 रेलमगरा जिला राजसंमद
10–कमला पत्नि बंशीलाल नायक निवासी पनोतिया तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के विरूद्ध बहक प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित साबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 1541 रकबा 0.05 है0,आराजी संख्या 1542 रकबा 0.33 है0,आराजी संख्या 3186 रकबा 0.46 है0,आराजी संख्या 3189 रकबा 0.19 है0,आराजी संख्या 3190 रकबा 0.25 है0,आराजी संख्या 3191 रकबा 0.34 है0,आराजी संख्या 3193 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3194 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3195 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3196 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 3197 रकबा 0.50 है0, आराजी

संख्या 3198 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 3199 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 3200 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 3201 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3202 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3203 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 3204 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 3205 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3206 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 3207 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3208 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3209 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3213 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 3214 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 3228 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3229 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3230 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 3231 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 3233 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3234 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 3235 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 3240 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3297 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 3298 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3301 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 3302 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 3304 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3305 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3307 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 3308 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 3309 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 3310 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3311 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 3514 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 3515 रकबा 0.24 है0, कुल किता 47 कुल रकबा 9.28 है0 भूमि से सम्बधित प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.01.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शेरपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शेरपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: